होमगार्डस स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक पदाधिकारियों के डियूटी भत्ता/प्रशिक्षण भत्ता/वर्दी भत्ता से संबंधित शासनादेश/मुख्यालय के आदेश

क्र0 सं0	दिनांक	शासनादेश/मुख्यालय के आदेश संख्या-	विवरण	**पृष्ठ संख्या**
1	04-07-1980	शासनादेश-491/27-4(14) एच0जी0/79	डियूटी/प्रशिक्षण के दौरान घायल/अस्वस्थ होमगार्डस स्वयंसेवकों को अपरिहार्य उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती रहने की अवधियों में डियूटी/प्रशिक्षण भत्ते का भुगतान।	**05**
2	16-09-2014	शासनादेश-18/1783/छ:नासु-14-258होगा/81	होमगार्डस स्वयंसेवकों का डियूटी भत्ता दिनांक- 01-09-2014 से रू0, 200/- से 225/- किये जाने के संबंध में।	**06**
3	29-04-2015	शासनादेश-36/2015/320/छ: नासु-15-258होगा/81	अर्न्तजनपदीय डियूटियों में नियोजित होमगार्डस को दिनांक- 01-04-2015 से रूपये,25/- अतिरिक्त डियूटी भत्ता दिये जाने के संबंध में।	**08**
4	23-07-2015	शासनादेश-52/2015/1160/छ: नासु-15/71होगा/04	विभिन्न सार्वजनिक उद्‍यम/स्थानीय निकायों, शैक्षणिक संस्थाओं, शासकीय तथा अर्धशासकीय संस्थाओं में कामर्शियल डियूटी पर नियोजित होमगार्डस स्वयंसेवकों को सामान्य डियूटी भत्ते के अतिरिक्त तत्काल प्रभाव से रू**0** 10/- दर से प्रतिदिन प्रति होमगार्ड अधिक भुगतान किये जाने के संबंध में।	**10**
5	26-02-2016	शासनादेश-4/2016/5/2015/462/95-2016-322होगा/04	अवैतनिक अधिकारियों के मानदेय में दिनांक- 01-04-2016 से वृद्‍धि, पुनरिक्षित मानदेय प्रतिमाह -अवैतनिक कम्पनी कमाण्डर 1260/-, अवैतनिक सहायक कम्पनी कमाण्डर 980/- अवैतनिक प्लाटून कमाण्डर 840/- भुगतान किये जाने के संबंध में। ।	**11**
6	20-07-2016	शासनादेश-31/2016/1476/95-16 -258होगा/81	अर्न्तजनपदीय डियूटियों में नियोजित होमगार्डस को दिनांक- 01-07-2016 से रूपये,30/- अतिरिक्त डियूटी भत्ता दिये जाने के संबंध में।	**13**

7	08-12-2016	शासनादेश-58/2016/2576/95-16 -258होगा/81	होमगार्डस स्वयंसेवकों का डियूटी भत्ता रू0 300/- से बढ़ाकर 375/- किये जाने के संबंध में।	**15**
8	15-03-2017	शासनादेश-02/2017/406/95-17-258होगा/81	अर्न्तजनपदीय डियूटियों में नियोजित होमगार्डस को दिनांक- 01-11-2016 से रूपये,30/- अतिरिक्त डियूटी भत्ता दिये जाने के संबंध में।	**16**
9	17-07-2018	शासनादेश-29/2018/1191/95-18-245होगा/12	कुम्भ मेला 2019 में नियोजित होमगार्डस को रूपये,80/- प्रतिदिन प्रति होमगार्ड भोजन भत्ता दिये जाने के संबंध में।	**18**
10	27-08-2018	शासनादेश-32/2018/1671/95-18 -258होगा/81	होमगार्डस स्वयंसेवकों का डियूटी भत्ता रू0 375/- से बढ़ाकर 500/- किये जाने के संबंध में।	**20**
11	18-06-2019	शासनादेश-19/2019/469/95-19 -245होगा/81	होमगार्डस स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण भत्ता रू0 200/- से बढ़ाकर 260/- किये जाने के संबंध में।	**21**
12	23-09-2019	शासनादेश-59/2019/1834/पन्चानबे-19-46रिट/15टी0सी0।।।	होमगार्डस स्वयंसेवकों का डियूटी भत्ता पुलिस कार्मिकों के समान रू0, 18000/- को 30 दिवस के माह के आधार पर प्रतिदिन रूपये 600/- एवं इसमें शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ते को जोड़ते हुए अनुमन्य किये जाने के संबंध में।	**23**
13	22-10-2019	शासनादेश-2025/पन्चानवे-19-258होगा/81	अर्न्तजनपदीय डियूटियों में नियोजित होमगार्डस को रूपये,30/- अतिरिक्त डियूटी एवं विभिन्न सार्वजनिक उद्यम/स्थानीय निकायों, शैक्षणिक संस्थाओं, शासकीय तथा अर्धशासकीय संस्थाओं में कामर्शियल डियूटी पर नियोजित होमगार्डस स्वयंसेवकों को सामान्य डियूटी भत्ते के अतिरिक्त तत्काल प्रभाव से रू**0** 10/- दर से प्रतिदिन प्रति होमगार्ड भत्ता यथावत दिये जाने के संबंध में।	**25**
14	13-12-2019	शासनादेश 69/2019/949/पन्चानवे-2019-	अवैतनिक अधिकारियों के मानदेय में तत्काल प्रभाव से वृद्धि, पुनरिक्षित मानदेय प्रतिमाह -अवैतनिक कम्पनी कमाण्डर 1490/-, अवैतनिक सहायक कम्पनी कमाण्डर	**26**

		322होगा/01	1160/- अवैतनिक प्लाटून कमाण्डर 990/- भुगतान किये जाने के संबंध में। ।	
15	27-04-2020	शासनादेश-22/2020/624/95-2020-390होगा/97	शासकीय/अर्धशासकीय सेवा में कार्यरत कार्मिकों को होमगार्डस स्वयंसेवक /अवैतनिक अधिकारी के रूप में कार्य करने पर केवल एक विभाग/सेवा के सापेक्ष भुगतान किये जाने के संबंध में।	**27**
16	19-05-2020	शासनादेश-24/2020/847/95-2020	होमगार्डस के कोरोना कोविड-19 से संक्रमित होने पर कोरेनटाइन/आईसोलेट होने पर उन्हें डियूटीरत मानते हुए डियूटी भत्ते का भुगतान किये जाने के संबंध में।	**29**
17	17-07-2020	शासनादेश-35/2020/847/95-2020	कोरोना डियूटी में लगे होमगार्डस स्वयंसेवकों को अन्तर्जनपदीय संचरण की स्थिति में अतिरिक्त रूप से रू0,100/-प्रतिदिन प्राति होमगार्ड भोजन भत्ता दिये जाने के संबंध में।	**31**
18	22-10-2020	शासनादेश-42/2020/1708/95-2020	होमगार्डस स्वयंसेवक /अवैतनिक अधिकारी के डियूटी के दौरान वीरतापूर्वक कर्तव्य पालन में घायल होने पर अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि के पाश्चात मुख्यचिकित्सा अधिकारी/ चिकित्या अधीक्षक द्वारा स्वस्थ्य घोषित होने तक या 06 माह की अवधि जो भी कम हो के लिये डियूटी पर मानते हुए डियूटी भत्ते का भुगतान किये जाने के संबंध में।	**33**
19	15-12-2020	शासनादेश-50/2020/2525/पन्चानवे-2020-322होगा/2001	अवैतनिक अधिकारियों को अनिवार्यरूप से प्रतिमाह डियूटी भत्ते के साथ ही मानदेय का भी भुगतान किये जाने के संबंध में।	**34**
20	09-02-2021	शासनादेश-05/2021/234/पन्चानवे-2021-169होगा/2000 टी0सी0	होमगार्डस स्वयंसेवकों /अवैतनिक अधिकारियों को वर्दी के स्थान पर प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार रू0-3000/-वर्दी भत्ता दिये जाने के संबंध में।	**36**
21	11-05-2022	शासनादेश-17/2022/2182/प	वाहय प्रतिस्ठानों में होमगार्डस की डियूटी नियोजित किये किये जाने के लिये न्यूनतम 06 माह के डियूटी भत्ते का	**37**

		न्चानबे-2021-46रिट/15टी0सी0।।।	का अनुमानित अग्रिम राशि प्राप्त किये जाने के संबंध में। में।	
22	22-06-2022	शासनादेश-21/2022/1403/पन्चानबे-2022-300होगा/01टी0सी0	गृह विभाग में आरक्षियों की रिक्तियों के सापेक्ष उनके स्थान पर तैनात 25000 होमगार्ड एवं यू0पी0-112 में तैनात 8996 होमगार्ड के डियूटी भत्ते का भुगतान होमगार्डस विभाग के मानक मद-02 मजदूरी से करने के संबंध मे।	**39**
23	01-07-2022	शासनादेश-28/2022/959/95-2022/606होगा/08 पार्ट-1	होमगार्डस स्वयंसेवकों /अवैतनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण भत्ते को डियूटी भत्ते के समतुल्य किये जाने के संबंध में।	**40**
24	04-11-2022	शासनादेश-52/2022/1906/पन्चावे-1099/61/2020	प्रशिक्षण भत्ते की अधिकतम 20 प्रतिशत धनराशि भोजन एवं अन्य आवश्यक मदों में व्यय किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।	**42**
25	30-11-2022	शासनादेश-58/2022/2416/पन्चावे-1001(001)/3/2020	यू0पी0-112 में वाहन चालक के रूप में नियोजित होमगार्डस स्वयंसेवकों को डियूटी भत्तों के अतिरिक्त रू0-150/- मानदेय दिये जाने के संबंध में।	**44**

प्रेषक,

श्री चितरंजन दास उपाध्याय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रेषित,

कमाण्डेन्ट जनरल,
होमगार्ड्स,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

नागरिक सुरक्षा अनुभाग लखनऊ दिनांक: जुलाई 04, 1980

विषय: ड्यूटी/प्रशिक्षण के दौरान घायल/अस्वस्थ, होमगार्ड स्वयंसेवकों को अपरिहार्य उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती रहने की दशा में ड्यूटी/प्रशिक्षण भत्ते का भुगतान।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने अवैतनिक होमगार्ड्स स्वयं सेवकों के ड्यूटी अथवा प्रशिक्षण के दौरान घायल अथवा अस्वस्थ हो जाने पर अपरिहार्य उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती रहने की दशा में उन्हें अस्पताल में भर्ती रहने की अवधियों में प्रशिक्षण अथवा ड्यूटी पर जैसी भी स्थिति हो माने जाने और तदनुसार उन्हें ड्यूटी/प्रशिक्षण भत्ता दिये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त आदेशों के कार्यान्यवन में उक्त समस्त शर्तों के पूरा किये जाने के बारे में विशेष सावधानी बर्ती जानी चाहिये।

यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जो उनके अ0 शासकीय सं0 1931/दस-80 दिनांक 04-06-1980 द्वारा प्राप्त कर ली गई है, जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(चितरंजन दास उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

सं0 491/27-4(14) एच0जी0/79

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3- महानिदेशक नागरिक सुरक्षा, भारत सरकार नई दिल्ली।
4- कमाण्डेन्ट, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, होमगार्ड्स, लखनऊ।
5- डिवीजनल कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- समस्त जिला कमाण्डेन्ट/कमाण्डेन्ट, जि0प्र0के0/नगर कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, उत्तर प्रदेश।

संख्या-18/1783/छ:नासु-14-258 होगा/81

प्रेषक,

सुनील कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्डस, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगाड्र्स अनुभाग लखनऊ दिनांक 16 सितम्बर, 2014

विषय: होमगार्डस स्वयंसेवकों के ड्यूटी भत्तों में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2587/सात-146/2005 (पार्ट-1), दिनांक 06.01.2014 एवं पत्र संख्या-850/लेखा/सात-146/2005 (पार्ट-1), दिनांक 11.07.2014 तथा शासनादेश संख्या-सी0एम0-275/छ:नासु-12-258 होगा/81 दिनांक 29.01.2013 के अनुक्रम मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि होमगार्डस स्वयंसेवकों के वर्तमान पारिश्रमिक दर रूपये 200/- में रूपये 25/- की वृद्धि करते हुये रूपये 225/- (रूपये दो सौ पच्चीस मात्र) प्रतिदिन प्रति होमगार्ड किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त वृद्धि दिनांक 01.09.2014 से लागू होगी।

3. उपर्युक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 की अनुदान संख्या-74 के लेखाशीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्त्र-107-होमगार्डस-03-सामान्य अधिष्ठान की मानक मद 02-मजदूरी" के नामे डाला जायेगा।

[redacted] आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-12-1402/दस-2014, दिनांक 04 [redacted] 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय
ह/0
(सुनील कुमार)
अनु सचिव।

........2

ftp://shasanadesh.up.nic.in

........2........

<u>संख्या-18/1783(1)/छःनासु-14 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, आडिट/लेखा (प्रथम/द्वितीय) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6. समस्त मण्डलीय कमाण्डेण्ट, होमगार्डस, उ0प्र0।
7. समस्त जिला कमाण्डेण्ट, होमगार्डस, उ0प्र0।
8. बजट सहायक/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
ह/0
(सुनील कुमार)
अनु सचिव।

http://Shasanadesh.up.nic.in

<u>संख्या-36/2015/320/छ:नासु-15-258 होगा/81</u>

प्रेषक,

स्वामी नाथ पाण्डेय,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्डस, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगाड्र्स अनुभाग लखनऊ दिनांक 29 अप्रैल, 2015

विषय: अन्तर्जनपदीय ड्यूटियों पर नियोजित होने वाले होमगार्डस स्वयंसेवकों को अतिरिक्त ड्यूटी भत्ता स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2534/लेखा/सात-146/2005 (पार्ट-1), दिनांक 29.01.2015 एवं शासनादेश संख्या-175/छ:नासु-12-258 होगा/81 दिनांक 29.01.2013 के अनुक्रम मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, होमगार्डस स्वयंसेवकों के ड्यूटी भत्ता रू0 230/- में रूपये 25/- (रूपये पच्चीस मात्र) प्रतिदिन प्रति होमगार्ड की वृद्धि करते हुये अन्तर्जनपदीय ड्यूटी पर नियोजित होने वाले होमगार्डस स्वयंसेवकों को रूपया 255/- (रूपया दो सौ पच्चपन मात्र) प्रतिदिन प्रति होमगार्ड किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त वृद्वि दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगी।

3. उपर्युक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 की अनुदान संख्या-74 के लेखाशीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्त्र-107-होमगार्डस-03-सामान्य अधिष्ठान की मानक मद 02-मजदूरी" के नामे डाला जायेगा।

उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-12-588/दस-2015, दिनांक 23 अप्रैल, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(स्वामी नाथ पाण्डेय)
उप सचिव।

........2

http://shasanadesh.up.nic.in

........2........

संख्या-36/2015/320(1)/छ:नासु-15 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी तथा लेखा आडिट (प्रथम/द्वितीय) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6. समस्त मण्डलीय कमाण्डेण्ट, होमगार्डस, उ0प्र0।
7. समस्त जिला कमाण्डेण्ट, होमगार्डस, उ0प्र0।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
9. बजट सहायक/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(स्वामी नाथ पाण्डेय)
उप सचिव।

http://Shasanadesh.up.nic.in

संख्या-52/2015/1160/छ:नासु-15-71 होगा/04

प्रेषक

भूपेन्द्र सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्डस, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगार्ड अनुभाग लखनऊ, दिनांक 23 जुलाई, 2015

विषय : विभिन्न सार्वजनिक उद्यम/स्थानीय निकायों, शैक्षणिक संस्थाओं, शासकीय तथा अर्द्ध शासकीय संस्थाओं में कामर्शियल डयूटी पर नियोजित होमगार्डस स्वयंसेवकों के पारिश्रमिक के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 383/लेखा/सात-54/2004 (पार्ट-1) दिनांक 13.5.2015 तथा शासनादेश संख्या-927/छ:नासु-13-71 होगा/04 दिनांक 04.7.2013 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि होमगार्डस स्वयंसेवकों को पारिश्रमिक दर जो भी तत्समय प्रचलित हो की भांति विभिन्न सार्वजनिक उद्यम/स्थानीय निकायों, शैक्षणिक संस्थाओं, शासकीय तथा अर्द्ध शासकीय संस्थाओं में (कामर्शियल प्रतिष्ठानों) में नियोजित होने वाले होमगार्डस स्वयंसेवकों को सामान्य डयूटी भत्ते के अतिरिक्त कामर्शियल डयूटी भत्ते की धनराशि में तात्कालिक प्रभाव से रू0 10/- प्रतिदिन प्रति होमगार्ड अधिक भुगतान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-12-935/दस-2015, दिनांक 21 जुलाई, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(भूपेन्द्र सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या-52/2015/1160(1)/छ:नासु-15, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, आडिट/लेखा (प्रथम/द्वितीय) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6. समस्त मण्डलीय कमाण्डेण्ट, होमगार्डस, उ0प्र0।
7. समस्त जिला कमाण्डेण्ट, होमगार्डस, उ0प्र0।
8. निदेशक/प्रभारी, निकनेट सेल, उ0प्र0 योजना भवन लखनऊ।
9. बजट सहायक/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
ह/0
(सुनील कुमार)
अनु सचिव।

Http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-4/2016/5/2016/462/95-2016-322होगा/04

प्रेषक,

स्वामी नाथ पाण्डेय,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमागाडर्स,
उ0प्र0 लखनऊ।

होमगार्डस अनुभाग   लखनऊ, दिनांक 26 फरवरी, 2016

विषय- अवैतनिक कम्पनी कमाण्डर, सहायक कम्पनी कमाण्डर एवं प्लाटून कमाण्डर के मानदेयो में व़द्वि किये जाने के संबध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-2077/लेखा/सात'145/2014 एवं शासनादेश संख्या- 2674/छ:नासु-12-322होगा/01 दिनांक 12 फरवरी, 2013, के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय होमगार्डस विभाग के अवैतनिक कम्पनी कमाण्डर, अवैतनिक सहायक कम्पनी कमाण्डर तथा अवैतनिक प्लाटून कमाण्डर के मानदेय को निम्नवत् पुनरीक्षित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

	वर्तमान मानदेय	पुनरीक्षित मानदेय
(1) अवैतनिक कम्पनी कमाण्डर	रू0 900/-प्रतिमाह	रू0 1260/-प्रतिमाह
(2) अवैतनिक सहायक कम्पनी कमाण्डर	रू0 700/-प्रतिमाह	रू0 980/-प्रतिमाह
(3) अवैतनिक प्लाटून कमाण्डर	रू0 600/-प्रतिमाह	रू0 840/-प्रतिमाह

2. उक्त पुनरीक्षित दरें वित्तीय वर्ष 2016-17 में 01 अप्रैल, 2016 से लागू होंगी।

[redacted] यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-12-212/दस-2016 दिनांक [redacted]फरवरी, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

स्वामी नाथ पाण्डेय
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

-2-

संख्या-4/2016/5/2016/462/95-2016-322होगा/04-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
3. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुनील कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-31/2016/1476/95-16-258 होगा/81

प्रेषक,

स्वामी नाथ पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्डस, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगाड्र्स अनुभाग   लखनऊ दिनांक 20 जुलाई, 2016

विषय: अन्तर्जनपदीय ड्यूटियों पर नियोजित होने वाले होमगार्डस स्वयंसेवकों को अतिरिक्त ड्यूटी भत्ता स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4579/लेखा/सात-146/2005 (पार्ट-1), दिनांक 03 मार्च, 2016 एवं शासनादेश संख्या-36/2015/320/छ:नासु-15-258 होगा/81 दिनांक 29.04.2015 के अनुक्रम मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, होमगार्डस स्वयंसेवकों के अन्तर्जनपदीय ड्यूटी पर नियोजित होने वाले होमगार्डस स्वयंसेवकों को दैनिक ड्यूटी भत्ता रू0 300/- के अतिरिक्त रूपये 30/- (रूपये तीस मात्र) अर्थात रूपया 330/- प्रतिदिन प्रति होमगार्ड किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उपर्युक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 की अनुदान संख्या-74 के लेखाशीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-107-होमगार्डस-03-सामान्य अधिष्ठान की मानक मद 02-मजदूरी" के नामे डाला जायेगा।

उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-12-819/दस-2016, दिनांक 15 जुलाई, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(स्वामी नाथ पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

........2

http://shasanadesh.up.nic.in

........2........

<u>संख्या-31/2016/1476(1)/95-16 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, आडिट/लेखा (प्रथम/द्वितीय) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6. समस्त मण्डलीय कमाण्डेण्ट, होमगार्डस, उ0प्र0।
7. समस्त जिला कमाण्डेण्ट, होमगार्डस, उ0प्र0।
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार)
अनु सचिव।

http://Shasanadesh.up.nic.in

संख्या-58/2016/2576/पन्चानवे-16-258 होगा/81

प्रेषक,

स्वामी नाथ पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्डस, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगार्डस अनुभाग   लखनऊ दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

विषय: होमगार्डस स्वयंसेवकों के ड्यूटी भत्तों में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-02/2016/269/95-16-258 होगा/81, दिनांक 04.02.2016 के अनुक्रम मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि होमगार्डस स्वयंसेवकों के वर्तमान पारिश्रमिक दर रूपये 300/- में रूपये 75/- की वृद्धि करते हुये रूपये 375/- (रूपये तीन सौ पचहत्तर मात्र) प्रतिदिन प्रति होमगार्ड किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त वृद्धि दिनांक 01.11.2016 से लागू होगी।

2. उपर्युक्त पर होने वाला व्यय होमगार्डस विभाग की अनुदान संख्या-74 के सुसंगत लेखाशीर्षक से वहन किया जायेगा।

उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-12-1391/दस-2016, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय
ह/0
(स्वामी नाथ पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

संख्या-58/2016/2576(1)/पन्चानवे-16 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, आडिट/लेखा (प्रथम/द्वितीय) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6. समस्त डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल/समस्त मण्डलीय कमाण्डेण्ट, होमगार्डस, उ0प्र0।
7. समस्त जिला कमाण्डेण्ट, होमगार्डस, उ0प्र0।
8. बजट सहायक/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
ह/0
(स्वामी नाथ पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-02/2017/406/पन्चानबे-17-258 होगा/81

प्रेषक,

स्वामी नाथ पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्डस, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगार्डस अनुभाग | लखनऊ दिनांक 15 मार्च, 2017

विषय: अन्तर्जनपदीय ड्यूटियों पर नियोजित होने वाले होमगार्डस को अतिरिक्त ड्यूटी भत्ता स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3529/लेखा/सात-146/2005 (पार्ट-1), दिनांक 12.01.2017 एवं शासनादेश संख्या-31/2016/1476/95-16-258 होगा/81 दिनांक 20.07.2016 के अनुक्रम मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, होमगार्डस स्वयंसेवकों के अन्तर्जनपदीय ड्यूटी पर नियोजित होने वाले होमगार्डस स्वयंसेवकों को देय दैनिक ड्यूटी भत्ता रू0 375/- के अतिरिक्त रूपये 30/- (रूपये तीस मात्र) अर्थात रूपया 405/- प्रतिदिन प्रति होमगार्ड दिनांक 01.11.2016 से किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उपर्युक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 की अनुदान संख्या-74 के लेखाशीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-107-होमगार्डस-03-सामान्य अधिष्ठान की मानक मद 02-मजदूरी" के नामे डाला जायेगा।

उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-12-186/दस-2017, दिनांक 23 फरवरी, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(स्वामी नाथ पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

........2

http://shasanadesh.up.nic.in

........2........

<u>संख्या-02/2017/406(1)/पन्चानबे-17 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, आडिट/लेखा (प्रथम/द्वितीय) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6. समस्त मण्डलीय कमाण्डेण्ट, होमगार्डस, उ0प्र0।
7. समस्त जिला कमाण्डेण्ट, होमगार्डस, उ0प्र0।
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार)
अनु सचिव।

http://Shasanadesh.up.nic.in

<u>संख्या-29/2018/1191/पन्चानवे-18-245 होगा/12</u>

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्डस, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगाडर्स अनुभाग लखनऊ दिनांक 17 जुलाई 2018

विषय: कुम्भ मेला 2019 में की डयूटी पर नियोजित होमगार्डस स्वयसेवकों को रू0 80/- प्रतिदिन प्रति होमगार्डस भोजन भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-6309/लेखा/कुम्भ मेला-131/2018-19 दिनांक 05;09;2018 एवं शासनादेश संख्या-210/छः-नासु-13-245 होगा/12 दिनांक 01.02.2013 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कुम्भ मेला 2019 की ड्यूटी पर नियोजित होमगार्डसस्वयंसेवकों को भोजन भत्ता के रूप में देय रू0 60/- में रू0 20/- की वृद्धि करते हुए रू0 80/- प्रतिदिन प्रति होमगार्डस किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-74 के लेखाशीर्षक 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-107-होमगार्डस, 09-कुम्भ मेला 2019 के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-12-975/दस-2018, दिनांक 04 जुलाई, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
सत्येन्द्र कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

........2

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

........2.........

संख्या-29/2018/1191(1)/पन्चानवे-18 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, आडिट/लेखा (प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/2
6. समस्त मण्डलीय कमाण्डेण्ट, होमगार्डस, उ0प्र0।
7. समस्त जिला कमाण्डेण्ट, होमगार्डस, उ0प्र0।
8. बजट सहायक/गार्डबुक।

आज्ञा से,
सत्येन्द्र कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

संख्या-32/2018/1671/पन्चानबे-18-258 होगा/81

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्डस, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगार्डस अनुभाग लखनऊ दिनांक 27 अगस्त, 2018

विषय: होमगार्डस स्वयंसेवकों के ड्यूटी भत्तों में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-58/2016/257/पन्चानबे-2016-258 होगा/81 दिनांक 08.12.2016 के अनुक्रम मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि होमगार्डस स्वयंसेवकों के वर्तमान पारिश्रमिक रूपये 375/- में रू0 125/- की वृद्धि करते हुए रू0 500/- (रूपये पॉच सौ मात्र) प्रतिदिन प्रति होमगार्ड किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. उपर्युक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 की अनुदान संख्या-74 के लेखाशीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-107-होमगार्डस-03-सामान्य अधिष्ठान की मानक मद 02-मजदूरी" के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-12-1281/दस-2018, दिनांक 27 अगस्त, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय
सत्येन्द्र कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-32/2018/1671(1)/पन्चानबे-18 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, आडिट/लेखा (प्रथम/द्वितीय) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. निदेशक, कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6. समस्त डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल/समस्त मण्डलीय कमाण्डेण्ट, होमगार्डस, उ0प्र0।
7. समस्त जिला कमाण्डेण्ट, होमगार्डस, उ0प्र0।
8. बजट सहायक/गार्डबुक।

आज्ञा से,
सत्येन्द्र कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-19/2019/469/पन्चानबे-19-245 होगा/81

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्डस, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगार्डस अनुभाग लखनऊ दिनांक 18 जून, 2019

विषय: होमगार्डस स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण भत्तें को ड्यूटी भत्ते के समान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2519/परेड प्रशि0-92/2009, दिनांक 07 मार्च, 2019 एवं शासनादेश संख्या-136/छ:नासु-13-245 होगा/81 दिनांक 08.03.2013 के अनुक्रम मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि होमगार्डस स्वयंसेवक के ड्यूटी भत्ता में हुयी वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए अनुपात के अनुसार वर्तमान में देय प्रशिक्षण भत्ता रू0 200/- प्रतिदिन के स्थान पर रू0 260/- (रूपया दो सौ साठ मात्र) प्रतिदिन प्रति होमगार्ड निम्नानुसार किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

क्र0सं0	व्यय की मद	वर्तमान दर	पुनरीक्षित दर
1.	जेब खर्च (ग्रामीण/शहरी होमगार्डस)	रू0 115/- प्रति होमगार्डस प्रतिदिन	रू0 160/- प्रति होमगार्डस प्रतिदिन
2.	भोजन भत्ता (ग्रामीण/शहरी होमगार्डस)	रू0 85/- प्रति होमगार्डस प्रतिदिन	रू0 100/- प्रति होमगार्डस प्रतिदिन

2. उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-74 के लेखाशीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-107-होमगार्डस-04-भारत सरकार द्वारा आंशिक प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय (25 प्रतिशत) की मानक मद 21-छात्रवृत्ति और छात्रवेतन" के नामे डाला जायेगा।

3. उक्त वृद्धि तात्कालिक प्रभाव से लागू होगी।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-12-861/दस-2019, दिनांक 13 जून, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
सत्येन्द्र कुमार सिंह
विशेष सचिव।

...........2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

........2.......

<u>संख्या-19/2019/469(1)/पन्चानबे-19 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, आडिट/लेखा (प्रथम/द्वितीय) उ0प्र0, प्रयागराज।
2. निदेशक, कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6. समस्त डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल/समस्त मण्डलीय कमाण्डेण्ट/समस्त जिला कमाण्डेण्ट, होमगार्डस, उ0प्र0 द्वारा महासमादेष्टा होमगार्डस।
7. बजट सहायक/गार्डबुक।

आज्ञा से,
निर्मला श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>संख्या-59/2019/ 1834/पन्चानबे-19-46 रिट/15 टी0सी0 ।।।</u>

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्डस, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगार्डस अनुभाग   लखनऊ दिनांक : 23 सितम्बर, 2019

विषय: मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30.07.2019 के क्रम में होमगार्डस स्वयंसेवकों का ड्यूटी भत्ता पुलिस कार्मिक के समान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा विशेष अपील संख्या-735/2016 में पारित आदेश 06.12.2016 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-2264/2017 एवं 5853/2017 में पारित आदेश दिनांक 30.07.2019 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 06.12.2016 से होमगार्डस स्वयंसेवकों का ड्यूटी भत्ता पुलिस कार्मिक के न्यूनतम वेतन रू0 18,000/- को 30 दिन के माह के आधार पर प्रतिदिन रू0 600/- एवं इसमें शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित महंगाई भत्ते को जोडते हुए अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. होमगार्डस स्वयंसेवकों के डयूटी भत्ते का नकद भुगतान 01 सितम्बर, 2019 से किया जायेगा। एरियर के भुगतान के सम्बन्ध में अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा।

3. उपर्युक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 की अनुदान संख्या-74 के लेखाशीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-107-होमगार्डस-03-सामान्य अधिष्ठान की मानक मद 02-मजदूरी" के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-12-1428/दस-2019, दिनांक 20 सितम्बर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय
अनिल कुमार
प्रमुख सचिव।

..........2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

..........2........

<u>संख्या-59/2019/1834(1)/पन्चानबे-19 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, आडिट/लेखा (प्रथम/द्वितीय) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. निदेशक, कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6. समस्त डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल/समस्त मण्डलीय कमाण्डेण्ट, होमगार्डस, उ0प्र0।
7. समस्त जिला कमाण्डेण्ट, होमगार्डस, उ0प्र0।
8. बजट सहायक/गार्डबुक।

आज्ञा से,
सत्येन्द्र कुमार सिंह
विशेष सचिव।

http://Shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

संख्या-2025/पन्चानबे-19-258 होगा/81

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्ड्स, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगार्ड्स अनुभाग   लखनऊ, दिनांक: 22 अक्टूबर, 2019

विषय: अन्तर्जनपदीय ड्यूटियों एवं विभिन्न सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में भुगतान के आधार पर नियोजित होने वाले होमगार्ड्स स्वयंसेवकों/अवैतनिक अधिकारियों को अतिरिक्त ड्यूटी भत्ता धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-12557/कार्मिक/प्रस्ताव-39/2017, दिनांक 14 अक्टूबर, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-52/2015/1160/छ:नासु-15-71 होगा/04, दिनांक 23-07-2015 तथा शासनादेश संख्या-02/2017/406/पन्चानबे-17-258 होगा/81, दिनांक 15-03-2017 में कोई संशोधन नही किया गया है। अत: उक्त शासनादेश दिनांक 23-07-2015 व 15-03-2017 में की गयी व्यवस्था यथावत लागू है। शासनादेश दिनांक 23-07-2015 द्वारा विभिन्न सार्वजनिक उद्यमों/ स्थानीय निकायों, शैक्षणिक संस्थाओं, शासकीय तथा अर्द्ध शासकीय संस्थाओं में कामर्शियल ड्यूटी पर नियोजित होने वाले होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को सामान्य ड्यूटी भत्ते के अतिरिक्त कामर्शियल ड्यूटी भत्ते की धनराशि में रू0 10/- प्रतिदिन प्रति होमगार्ड्स अधिक भुगतान किये जाने तथा शासनादेश दिनांक 15-03-2017 द्वारा होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के अन्तर्जनपदीय ड्यूटी पर नियोजित होने पर होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को देय दैनिक ड्यूटी भत्ता के अतिरिक्त रू0 30/- का भुगतान यथावत किया जायेगा।

भवदीय

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव

संख्या-69/2019/949/पन्चानवे-2019-322 होगा/01

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्डस, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगाडर्स अनुभाग लखनऊ दिनांक : 13 दिसम्बर, 2019

विषय: अवैतनिक कम्पनी कमाण्डर, सहायक कम्पनी कमाण्डर एवं प्लाटून कमाण्डर के मानदेय में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5301/लेखा/सात-145/2005, दिनांक 03.05.2019 एवं शासनादेश संख्या-5/2016/462/95-2016-322 होगा/01 दिनांक 26 फरवरी, 2016 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय होमगार्डस विभाग के अवैतनिक कम्पनी कमाण्डर, अवैतनिक सहायक कम्पनी कमाण्डर तथा अवैतनिक प्लाटून कमाण्डर के मानदेय को निम्नवत पुनरीक्षित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

क्र0सं0	पदनाम	वर्तमान मानदेय	पुनरीक्षित मानदेय
1.	अवैतनिक कम्पनी कमाण्डर	रू0 1,260/- प्रतिमाह	रू0 1,490/- प्रतिमाह
2.	अवैतनिक सहायक कम्पनी कमाण्डर	रू0 980/- प्रतिमाह	रू0 1,160/- प्रतिमाह
3.	अवैतनिक प्लाटून कमाण्डर	रू0 840/- प्रतिमाह	रू0 990/- प्रतिमाह

2 उक्त पुनरीक्षित दरें तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगी।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-12-1868/दस-2019 दिनांक 10 दिसम्बर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
अनिल कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-69/2019/949(1)/पन्चानवे-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
निर्मला श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-22/2020/624/पन्चानवे-2020-390 होगा/97

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्डस, उ0प्र0
लखनऊ।

होमगार्ड अनुभाग लखनऊ दिनांक 27 अप्रैल, 2020

विषय- शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में कार्यरत कार्मिकों के होमगार्ड स्वयंसेवक अथवा अवैतनिक अधिकारी के रूप में कार्य करने के संबंध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय प्रकरणों में शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में कार्यरत कार्मिकों की होमगार्ड स्वयंसेवक अथवा अवैतनिक अधिकारी के रूप में नियुक्ति की गयी है, जिसके फलस्वरूप उनके द्वारा उसी अवधि का शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा का वेतन भी आहरित किया जा रहा है तथा होमगार्ड स्वयंसेवक अथवा अवैतनिक अधिकारी के दायित्वों के निर्वहन के सापेक्ष ड्यूटी भत्ता भी प्राप्त किया जा रहा है। वस्तुतः किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने दैनिक 08 घण्टे की सेवाओं के उपरान्त होमगार्ड स्वयंसेवक अथवा अवैतनिक अधिकारी के रूप में 08 घण्टे की अतिरिक्त सेवा दिया जा पाना व्यवहारिक दृष्टिकोण से न तो संभव है और न ही कार्यक्षमता के दृष्टिकोण से उचित है।

2. उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स अधिनियम-1963 की धारा 7 (1) में निम्नवत प्रावधान किया गया है-

"ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो नियत की जायें, कोई व्यक्ति जो होमगार्ड्स के रूप में भर्ती होने का इच्छुक हो, नियत प्रपत्र में प्रार्थना पत्र देगा। यदि ऐसा प्रार्थी असार्वजनिक सेवा में हो तो वह उक्त प्रार्थना पत्र अपने सेवायोजक के माध्यम से या यदि वह राज्य के अधीन सेवा में हो तो, उस प्राधिकारी के माध्यम से देगा जो उसे इसमें सम्मिलित होने की अनुमति देने के लिये सक्षम हो।"

3. यह सम्भव है कि ऐसे प्रकरणों में संबंधित कार्मिकों द्वारा अपने मूल नियोक्ता से होमगार्ड स्वंयसेवक अथवा अवैतनिक अधिकारी के रूप में अपनी नियुक्ति के आवेदन की अनुमति प्राप्त न की गयी हो। संज्ञान में आये ऐसे प्रकरणों के अतिरिक्त भी ऐसे अन्य होमगार्ड स्वयंसेवक अथवा अवैतनिक अधिकारियों के प्रकरण हो सकते हैं, जिनके द्वारा उसी अवधि की सेवाओं के सापेक्ष दो विभागों, अपने मूल विभाग तथा होमगार्ड्स विभाग, से भुगतान प्राप्त किये जा रहे हों।

4. उपरोक्त स्थिति के उचित समाधान के लिए तथा होमगार्ड स्वयंसेवक अथवा अवैतनिक अधिकारियों की पूरी क्षमता के साथ विभाग में अपनी सेवाओं को देना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आपके पत्र संख्या-2279/कामिक/प्रस्ताव-90/2020 दिनांक 03 मार्च 2020 के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि -

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(i) सभी जिला कमाण्डेण्ट, होमगार्ड्स अपने अधीन कार्यरत समस्त होमगार्ड स्वयंसेवकों अथवा अवैतनिक अधिकारियों से निर्धारित प्रारूप पर इस आशय की जानकारी प्राप्त करेंगे कि वे किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में कार्यरत हैं या नहीं। ऐसी किसी सेवा में कार्यरत होने की दशा में संबंधित नियोक्ता का पूर्ण विवरण और नियोक्ता द्वारा होमगार्ड स्वयंसेवक अथवा अवैतनिक अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए अनापत्ति प्रणाम पत्र प्राप्त करेंगे।

(ii) उपरोक्त के अतिरिक्त जिला कमाण्डेण्ट द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी होमगार्ड स्वयंसेवक अथवा अवैतनिक अधिकारी द्वारा जिस अवधि का शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा का भुगतान प्राप्त किया गया हो, उस अवधि की होमगार्ड स्वयंसेवक अथवा अवैतनिक अधिकारी के रूप में न तो सेवाएं ली जायेंगी और न ही उसका भुगतान किया जायेगा, अर्थात् ऐसे कार्मिकों को होमगार्ड स्वयंसेवक अथवा अवैतनिक अधिकारी के रूप में केवल उसी अवधि के ड्यूटी भत्ते का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि का शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा का भुगतान उनके द्वारा प्राप्त न किया गया हो। ऐसे कार्मिकों की ड्यूटी भत्ते का भुगतान होमगार्ड संचरण व्यवस्था से ड्यूटी निकाले जाने के उपरान्त तभी किया जा सकेगा, जबकि वे अपने मूल नियोक्ता से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनके द्वारा उक्त अवधि का भुगतान अपने मूल शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा कार्यालय द्वारा प्राप्त नहीं किया जा रहा है।

5. उपरोक्त आदेश माह मई 2020 एवं उसके उपरान्त लगायी जाने वाली डयूटियो पर प्रभावी होंगे।

भवदीय,

अनिल कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-22/2020/624(1)/पन्चानबे-2020-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल, होमगाडर्स, उ0प्र0।
2. समस्त मण्डलीय कमाण्डेण्ट होमगार्डस, उ0प्र0।
3. समस्त जिला कमाण्डेण्ट होमगार्डस, उ0प्र0।
4. समस्त कमाण्डेण्ट, मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, होमगार्डस, उ0प्र0।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
निर्मला श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-24/2020/847/पन्चानबे-2020-

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्डस, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगार्ड अनुभाग लखनऊ, दिनांक : 19 मई, 2020

विषय : विभिन्न ड्यूटियों पर तैनात होमगार्डस के नोवल कोरोना (कोविड-19) से संक्रमित होने अथवा कोरेन्टाइन/आइसोलेट किये जाने पर उन्हे ड्यूटीरत मानते हुए ड्यूटी भत्ता का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3667/लेखा/ड्यूटी-16/2014 (पार्ट-1) दिनांक 06 मई, 2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में नोवल कोरोना (कोविड-19) के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए डियूटी के कारण होमगार्डस स्वयंसेवकों अथवा अवैतनिक अधिकारियों के संक्रमित होने, आईसोलेट/कोरेन्टाइन किये जाने की अवधि को अपरिहार्य उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती मानते हुए शासनादेश संख्या-491/27-4(14)एच0जी0/79 दिनांक: 04-07-1980 के क्रम में ड्यूटी भत्ते के भुगतान किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है :-

(1) यदि कोई होमगार्डस स्वयंसेवक/अवैतनिक अधिकारी ड्यूटी के दौरान कोरेन्टाइन किया जाता है तो ड्यूटी की अवधि में कोरेन्टाइन रहने की अवधि को ड्यूटी मानते हुए ड्यूटी भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

(2) यदि कोई होमगार्डस स्वयंसेवक/अवैतनिक अधिकारी कोविड-19 के कारण ड्यूटी के दौरान आईसोलेट/संक्रमित होकर अस्पताल में भर्ती होता है तो भर्ती रहने की अवधि तक उसे ड्यूटी पर मानते हुए ड्यूटी भत्ते का भुगतान किया जायेगा, चाहे उसकी ड्यूटी अगले माह न लगी हो।

(3) यदि कोई होमगार्ड स्वयंसेवक/अवैतनिक अधिकारी, विगत माह में ड्यूटी पर तैनात हो और अगले माह में ड्यूटी न लगी हो, ड्यूटी समाप्ति के पश्चात कोरोना संक्रमित होने की मेडिकली प्रेसक्राइब्ड अधिकतम अवधि के अन्दर कोरोना संक्रमित पाये जाने के कारण उपचार हेतु

..............2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

..........2........

अस्पताल में भर्ती होता है, तो अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि को भी शासनादेश दिनांक 04.07.1980 के क्रम में ड्यूटी पर मानते हुए ड्यूटी भत्तेका भुगतान किया जायेगा।

भवदीय,
अनिल कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-24/2020/847(1)/पन्चानबे-2020-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल, होमगार्डर्स, उ0प्र0।
2. समस्त मण्डलीय कमाण्डेण्ट होमगार्डस, उ0प्र0।
3. समस्त जिला कमाण्डेण्ट होमगार्डस, उ0प्र0।
4. समस्त कमाण्डेण्ट, मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, होमगार्डस, उ0प्र0।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
निर्मला श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव।

http://Shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-35/2020/1182/पन्चानबे-2020

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्डस, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगाडर्स अनुभाग　　　　　　　　　　　　　　　लखनऊ दिनांक : 27 जुलाई 2020

विषय: कोरोना ड्यूटी में लगे होमगार्डस स्वयंसेवकों को ड्यूटी पर प्रस्थान के दौरान ड्यूटी भत्ते के अतिरिक्त रू0 100/- प्रतिदिन प्रति होमगार्डस भोजन भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3977/कन्ट्रोल रूम/विविध-पत्रा0/2019 दिनांक 19 मई, 2020 एवं पत्र संख्या-5264/कन्ट्रोलरूम-विविध पत्रा0/2020 दिनांक 24 जून, 2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोरोना ड्यूटी में लगे होमगार्डस स्वयंसेवकों को अन्तर्जनपदीय/अन्तर्राज्यीय संचरण की स्थिति में ड्यूटी भत्ते के अतिरिक्त रू0 100/- प्रतिदिन प्रति होमगार्डस भोजन भत्ता दिये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-74 के लेखाशीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-107-होमगार्डस, 03-सामान्य अधिष्ठान, 02-मजदूरी के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-12-1347/दस-2020, दिनांक 23 जुलाई, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
अनिल कुमार
अपर मुख्य सचिव।

........2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

........2.........

<u>संख्या-35/2020/1182(1)/पन्चानवे-2020 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, आडिट/लेखा (प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/2
6. समस्त मण्डलीय कमाण्डेण्ट, होमगार्डस, उ0प्र0।
7. समस्त जिला कमाण्डेण्ट, होमगार्डस, उ0प्र0।
8. बजट सहायक/गार्डबुक।

आज्ञा से,
अशोक कुमार सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

<u>संख्या-42/2020/1708/पन्चानबे-2020</u>

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्ड्स, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगार्ड्स अनुभाग   लखनऊ   दिनांक 22 अक्टूबर, 2020

विषय- अवैतनिक अधिकारियों/होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के ड्यूटी के दौरान वीरतापूर्वक कर्तव्यपालन में घायल होने के फलस्वरूप उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि के पश्चात चिकित्सक द्वारा स्वस्थ घोषित होने की तिथि तक ड्यूटी पर माने जाने एवं उक्त अवधि के ड्यूटी भत्ते का भुगतान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल अवैतनिक अधिकारियों/होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के ड्यूटी के दौरान <u>वीरतापूर्वक कर्तव्य पालन</u> में घायल होने के फलस्वरूप उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि के पश्चात मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ चिकित्सा अधीक्षक द्वारा स्वस्थ घोषित होने की तिथि तक या 06 माह की अवधि तक, दोनो में जो भी कम हो, के लिए ड्यूटी पर माने जाने एवं उक्त अवधि के ड्यूटी भत्ते का भुगतान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीय,
अनिल कुमार
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- उप महासमादेष्टा, होमगार्ड्स, प्रयागराज/लखनऊ/झांसी/आगरा परिक्षेत्र, उ0प्र0।
3- समस्त मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, उ0प्र0।
4- समस्त जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, उ0प्र0
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अशोक कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.

संख्या-50/2020/2525/पन्चानबे-2020-322 होगा/2001

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा मे,

महासमादेष्टा,
होमगार्ड्स विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

होमगार्ड्स अनुभाग लखनऊ, दिनांक 15 दिसम्बर, 2020

विषय : अवैतनिक कम्पनी कमाण्डर, सहायक कम्पनी कमाण्डर एवं प्लाटून कमाण्डर के मानदेय का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-69/2019/949/पन्चानबे-2019-322 होगा/01, दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवैतनिक कम्पनी कमाण्डर का मानदेय रू0 1,490/, अवैतनिक सहायक कम्पनी कमाण्डर को रू0 1,160/- एवं अवैतनिक प्लाटून कमाण्डर को रू0 990/- स्वीकृत किया गया है।

2. शासन के संज्ञान में आया है कि अवैतनिक अधिकारियों के मानदेय का भुगतान प्रति माह नहीं किया जा रहा है। जिला कमाण्डेण्ट द्वारा तीन-चार माह का एक साथ भुगतान किया जा रहा है, जो स्वस्थ परम्परा नहीं है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त जिला कमाण्डेण्ट को निर्देशित करें कि माह नवम्बर, 2020 तक लम्बित मानदेय का भुगतान तत्काल कराते हुए अनिवार्य रूप से प्रतिमाह ड्यूटी भत्ते के साथ ही मानदेय का भुगतान भी किया जाय।

कृपया उक्त आदेश का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
अनिल कुमार
अपर मुख्य सचिव।

..........2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है
http://shasanadesh.up.nic.in

<u>संख्या-50/2020/2525(1)/पन्चानबे-2020-तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त उप महासमादेष्टा, होमगार्डस, उ0प्र0।
2. समस्त मण्डलीय कमाण्डेण्ट होमगार्डस, उ0प्र0।
3. समस्त जिला कमाण्डेण्ट होमगार्डस, उ0प्र0।
4. गार्डबुक।

आज्ञा से,
(अशोक कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://Shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

<u>संख्या-05/2021/234/पन्चानबे-2021-169 होगा/2000 टी0सी0</u>

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्डस, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगार्डस अनुभाग लखनऊ दिनांक : 09 फरवरी, 2021

विषय: होमगार्डस स्वयंसेवकों/ अवैतनिक अधिकारियों को वर्दी क्रय के स्थान पर वर्दी भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि होमगार्डस स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों को शासकीय धनराशि से वर्दी क्रय कर उपलब्ध करायी जाती है। विगत कई वर्षों से वर्दी मद में धनराशि आवंटित होती रही लेकिन वर्दी क्रय की प्रक्रिया अत्यन्त जटिल एवं लम्बी होने के कारण वर्दी क्रय कर उपलब्ध नहीं करायी जा सकी है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि होमगार्डस स्वयंसेवकों / अवैतनिक अधिकारियों को वर्दी के स्थान पर प्रत्येक 03 वर्ष में एक बार प्रत्येक होमगार्ड को रू0 3,000/- की धनराशि वर्दी भत्ते के रूप में अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. उपर्युक्त पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-74 के लेखाशीर्ष "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर की सुसंगत इकाईयों के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-12-277/दस-2021, दिनांक 30 जनवरी, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा हैं।

भवदीय
अनिल कुमार
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या-05/2021/234(1)/पन्चानबे-2021 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, आडिट/लेखा (प्रथम/द्वितीय) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. निदेशक, कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6. समस्त डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल/समस्त मण्डलीय कमाण्डेण्ट होमगार्डस, उ0प्र0।
7. समस्त जिला कमाण्डेण्ट, होमगार्डस, उ0प्र0।
8. बजट सहायक/गार्डबुक।

आज्ञा से,
अशोक कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-17/2022/2182/पन्चानबे-2021-46 रिट/15 टी0सी0 III

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्डस, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगार्डस अनुभाग | लखनऊ दिनांक 11 मई, 2022

विषय:- केन्द्र सरकार के विभागों, विभिन्न सार्वजनिक उद्यमो, प्राधिकरणो, स्थानीय निकायों, शैक्षणिक संस्थानों शासकीय तथा अर्द्ध शासकीय संस्थानों में कामर्शियल ड्यूटी पर नियोजित होमगार्ड्स स्वयंसेवको के वाह्य प्रतिष्ठानों मे होमगार्डस के प्रतिस्थापन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत है कि शासनादेश संख्या-59/2019/1834/पन्चानबें-19-46 रिट/15 टी0सी0III, दिनांक 23 सितम्बर, 2019 द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अपील संख्या-2264/2017 में पारित आदेश दिनांक 30-07-2019 के अनुपालन में होमगार्ड स्वयंसेवकों को रू0 600/- तथा प्रचलित महँगाई भत्तों को जोड़कर दैनिक ड्यूटी भत्ता दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं। प्रदेश में सभी विभागों एवं अन्य वाहय संस्थानों, केन्द्र सरकार के विभागों, केन्द्र सरकार अथवा प्रदेश सरकार के अधीन विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों, उद्यमों, प्राधिकरणों, स्थानीय निकायों, शैक्षणिक संस्थानों तथा अन्य शासकीय/अर्द्ध शासकीय अथवा निजी संस्थानों आदि जहॉ पर होमगार्ड्स स्वयंसेवक ड्यूटी पर नियोजित किये जा रहे हैं, इन्हीं दरो पर दिनांक 01 सितम्बर, 2019 से ही होमगार्ड्स के ड्यूटी भत्तों का भुगतान किया जा रहा है।

2. उपरोक्त आदेश के क्रम में ही दिनांक 06 दिसम्बर, 2016 से 30 सितम्बर, 2019 तक होमगार्ड स्वयं सेवकों के ड्यूटी भत्ते के सापेक्ष एरियर का भुगतान भी किया जाना है। इस हेतु शासनादेश संख्या 59/2019/1834/पन्चानबें-19-46 रिट/15 टी0सी0III, दिनांक 23-09-2020 द्वारा एवं मुख्यालय के आदेश द्वारा तथा जनपदों के जिला कमाण्डेन्ट द्वारा अपने वाहय संस्थानों से सम्पर्क करके एरियर के भुगतान का प्रयास भी किया गया है, किन्तु रिकार्ड के समुचित रख-रखाव के अभाव में अथवा अपेक्षित रूचि न लिये जाने के कारण उनके वाहय संस्थानों में होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के उक्त अवधि के एरियर का अभी तक पूर्ण भुगतान नहीं हो सका है।

3. शासन द्वारा सामान्य रूप से किसी भी वर्ष की 01 जनवरी से तथा 01 जुलाई से महँगाई भत्ते की दरें संशोधित की जाती हैं तथा तत्संबंधी शासनादेश कतिपय विलम्ब से निर्गत होता है। इस प्रकार भविष्य में भी 01 जनवरी तथा 01 जुलाई से महँगाई भत्तों की दरों में वृद्धि के कारण होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के ड्यूटी भत्तों में वृद्धि होने के शासनादेश पारित होने की तिथि तक के एरियर का भुगतान किया जाना होगा। इस एरियर के भुगतान में आने वाली कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किसी भी वाहय संस्थान में होमगार्ड्स स्वयंसेवक की ड्यूटी नियोजित करने

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

के लिए उनसे कम से कम 06 माह के होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के ड्यूटी भत्ते की अनुमानित अग्रिम राशि जिला कमाण्डेन्ट द्वारा अग्रिम के रूप में प्राप्त की जायेगी।

4- इसी अग्रिम राशि में से जिला कमाण्डेन्ट द्वारा उस वाह्य संस्थान में नियोजित होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के ड्यूटी भत्ते का भुगतान किया जायेगा। यदि किसी वाह्य संस्थान द्वारा अग्रिम धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो उसे सम्बन्धित जिला कमाण्डेन्ट द्वारा होमगार्ड्स स्वयंसेवकों की सेवाएँ उपलब्ध नहीं करायी जायेंगी। यह व्यवस्था 01 जुलाई, 2022 से प्रभावी होगी। इस संबंध में सभी वाह्य संस्थानों के प्रभारी अधिकारियों को संबंधित जिला कमाण्डेन्ट सूचित करेंगे।

5- इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार के शासकीय विभागों जैसे- कानून एवं शांति व्यवस्था हेतु नियोजित 25000 होमगार्ड्स स्वयंसेवकों (गृह विभाग), डायल 112 (गृह विभाग), जेल विभाग, सचिवालय प्रशासन, खनन विभाग एवं परिवहन विभाग आदि के लिए शासन स्तर से ही व्यवस्था लागू करने की कार्यवाही की जा रही है।

अतः इन विभागों के संदर्भ में जिला कमाण्डेन्ट को राज्य सरकार के विभागों के जनपदीय प्रभारियों से किसी अतिरिक्त कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

भवदीय

अनिल कुमार
अपर मुख्य सचिव

संख्या-17/2022/2182(1)/पन्चानबे-2022-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त उप महासमादेष्टा, होमगार्डस विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलीय कमाण्डेन्ट ग्रेड-2, होमगार्डस विभाग, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलीय कमाण्डेण्ट ग्रेड-1, होमगार्डस विभाग, उत्तर प्रदेश
4. समस्त जिला कमाण्डेन्ट होमगार्डस, उत्तर प्रदेश।
5. गार्ड फाइल।

भवदीय,
अशोक कुमार सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-21/2022/1403/पन्चानबे-2022-300 होगा/01 टी0सी0

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्डस, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगाडर्स अनुभाग लखनऊ दिनांक : 22 जून, 2022

विषय: गृह विभाग में आरक्षियों की रिक्तियों के सापेक्ष उनके स्थान पर कानून व्यवस्था हेतु तैनात 25000 एवं डायल-112 में तैनात 8996 होमगार्डस स्वयंसेवकों के ड्यूटी भत्ते का भुगतान होमगार्डस विभाग से किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गृह विभाग के अधीन प्रदेश में आरक्षियों की रिक्तियों के सापेक्ष उनके स्थान पर कानून व्यवस्था हेतु तैनात 25000 होमार्डस स्वयंसेवकों के 365 दिन के लिये रू0 755.00 करोड तथा डायल-112 में तैनात 8996 होमगार्डस स्वयंसेवकों के भुगतान हेतु रू0 320.00 करोड़ की बजट व्यवस्था चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-74 के लेखाशीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें, 107-होमगार्डस, 03-सामान्य अधिष्ठान की मानक मद 02-मजदूरी में वित्त विभाग द्वारा कर दी गयी है।

2. अत: आपसे अनुरोध है कि गृह विभाग के अधीन प्रदेश में आरक्षियों की रिक्तियों के सापेक्ष उनके स्थान पर कानून व्यवस्था हेतु तैनात 25000 होमार्डस स्वयंसेवकों तथा डायल-112 में तैनात 8996 होमगार्डस स्वयंसेवकों के ड्यूटी भत्ते का भुगतान होमगार्डस विभाग की अनुदान संख्या-74 के लेखाशीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें, 107-होमगार्डस, 03-सामान्य अधिष्ठान की मानक मद 02-मजदूरी से करने का कष्ट करें।

भवदीय
अनिल कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-21/2022/1403(1)/पन्चानबे-2022-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, यू0पी0 112, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. समस्त उप महासमादेष्टा, होमगार्डस विभाग, उ0प्र0।
6. समस्त मण्डलीय कमाण्डेण्ट होमगार्डस, उ0प्र0।
7. समस्त जिला कमाण्डेण्ट होमगार्डस, उ0प्र0।
8. गार्डबुक।

आज्ञा से,
अशोक कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-28/2022/959/पन्चानबे-2022/606 होगा/08 पार्ट-I

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्डस, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगार्डस अनुभाग   लखनऊ दिनांक : 01 जुलाई, 2022

विषय: होमगार्डस स्वयंसेवकों/अवैतनिक अधिकारियों को प्रशिक्षण अवधि में ड्यूटी भत्ते के समतुल्य प्रशिक्षण भत्ता अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-19/2019/469/पन्चानबे-19-245 होगा/81 दिनांक 18 जून, 2019 को अवमक्रमित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि होमगार्डस स्वयंसेवकों/अवैतनिक अधिकारियों को शासन द्वारा निर्धारित एवं अनुमोदित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने पर प्रशिक्षण अवधि में ड्यूटी पर अनुमन्य भत्ते के समतुल्य प्रशिक्षण भत्ता अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-74 के लेखाशीर्ष "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें, 107-होमगार्डस, 04-भारत सरकार द्वारा आंशिक प्रतिपूर्ति किये जाने वाला व्यय (25 प्रतिशत) की मानक मद 21-छात्रवृत्ति एवं छात्रवेतन" के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-जी-1-यू0ओ097/दस-2022, दिनांक 01 जुलाई, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय
अनिल कुमार
अपर मुख्य सचिव।

..........2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

..........2........

<u>संख्या-28/2022/959(1)/पन्चानबे-2022-606 होगा/08 पार्ट-1, तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, आडिट/लेखा (प्रथम/द्वितीय) उ0प्र0, प्रयागराज।
2. निदेशक, कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6. समस्त उप महासमादेष्टा, होमगार्डस, उ0प्र0 लखनऊ।
7. समस्त मण्डलीय कमाण्डेण्ट होमगार्डस ग्रेड-2/1, उ0प्र0 लखनऊ।
8. समस्त जिला कमाण्डेण्ट होमगार्डस, उ0प्र0 लखनऊ।
9. गार्डबुक।

आज्ञा से,
आशुतोष चन्द्र पाण्डेय
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

संख्या-52/2022/1906/95-1099/61/2020

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्डस, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगार्डस अनुभाग लखनऊ दिनांक : 04 नवम्बर, 2022

विषय: होमगार्डस स्वयंसेवकों/अवैतनिक अधिकारियों को अनुमन्य प्रशिक्षण भत्ते के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-6715/कार्मिक/प्रस्ताव-90/2020 दिनांक 19.07.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. शासनादेश संख्या-28/2022/959/पन्चानबे-2022/606 होगा/08 पार्ट-1, दिनांक 01.07.2022 द्वारा होमगार्डस स्वयंसेवकों/अवैतनिक अधिकारियों को शासन द्वारा निर्धारित एवं अनुमोदित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने पर प्रशिक्षण अवधि में ड्यूटी पर अनुमन्य भत्ते के समतुल्य प्रशिक्षण भत्ता अनुमन्य किया गया हैं।

2. उक्त के अनुक्रम में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले होमगार्डस को प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त होने वाले प्रशिक्षण भत्ते की अधिकतम बीस प्रतिशत धनराशि भोजन एवं अन्य आवश्यक मदों में व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त निर्णय के सम्यक् अनुपालन हेतु प्रक्रियात्मक निर्देश महासमादेष्टा, होमगार्डस द्वारा अपने स्तर से निर्गत किए जायेंगे।

भवदीय
अनिल कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-52/2022/1906(1)/95-1099/61/2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, आडिट/लेखा (प्रथम/द्वितीय) उ0प्र0, प्रयागराज।

..........2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

..........2........

2. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6. समस्त उप महासमादेष्टा, होमगार्डस, उ0प्र0 लखनऊ।
7. समस्त मण्डलीय कमाण्डेण्ट होमगार्डस ग्रेड-2/1, उ0प्र0 लखनऊ।
8. समस्त जिला कमाण्डेण्ट होमगार्डस, उ0प्र0 लखनऊ।
9. गार्डबुक।

आज्ञा से,
पद्माकर शुक्ला
संयुक्त सचिव।

http://Shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

<u>संख्या-58/2022/2416/95-1001(001)/3/2020</u>

प्रेषक,

पद्माकर शुक्ला,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्ड्स, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगार्ड्स अनुभाग लखनऊ : दिनांक 30 नवम्बर, 2022

विषय:- प्रदेश स्तरीय पुलिस इमरजेन्सी प्रबन्धन प्रणाली (पीईएमएस) यू0पी0 112 में वाहन चालक के रूप में नियोजित होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को ड्यूटी भत्ते के अतिरिक्त रू0 150/- दैनिक मानदेय प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-8529/लेखा/स-95/2016(पार्ट-3), दिनांक-अगस्त 16, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश स्तरीय पुलिस इमरजेन्सी प्रबन्धन प्रणाली (पीईएमएस) यू0पी0 112 में वाहन चालक के रूप में नियोजित होने वाले होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को ड्यूटी भत्ते के अतिरिक्त रू0 150/- मानदेय प्रतिदिवस प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- यू0पी0 112 में तैनात होमगार्ड्स को उपरोक्त मानदेय उनकी यू0पी0 112 में तैनाती की अवधि तक ही अनुमन्य होगा।

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्यय की अनुदान संख्या-74 के लेखाशीर्ष "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें, 107-होमगार्ड्स, 03-सामान्य अधिष्ठान की मानक मद 02-मजदूरी" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-E-12-253-x-2022-23 दिनांक 18.11.2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
पद्माकर शुक्ल
संयुक्त सचिव

<u>संख्या-58/2022/2416(1)/95-1001(001)/3/2020 तद्दिनांकित</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, आडिट/लेखा (प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0, प्रयागराज।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, गृह, उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक, कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12,
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. समस्त उप महासमादेष्टा, होमगार्ड्स, उ0प्र0, लखनऊ।
8. समस्त मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स ग्रेड-2/1, उ0प्र0 लखनऊ।
9. समस्त जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, उ0प्र0 लखनऊ।
10. गार्डबुक

आज्ञा से,
आशुतोष चन्द्र पाण्डेय
अनु सचिव।

http://Shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है